राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स.3(16)(11)विविध/अभि/14–01522 **जयपुर, दिनाकः** यथा ई–हस्ताक्षर

:: आदेश ::

यत् यह ध्यान में आया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अभियोजन अधिकारियों के पद रिक्त होने के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय में पैरवी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में जिन न्यायालयों में अभियोजन अधिकारी के पद रिक्त है अथवा न्यायालय के अभियोजन अधिकारी अवकाश पर है या किसी भी अन्य कारण से रिक्त है जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इस विषय में पूर्व में जारी किए गए आदेश/परिपत्र/पत्र को अधिष्ठित करते हुए, उक्त स्थिति में कार्य किये जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

1. **<u>रिक्त पद की सूचना</u>–**

उप निदेशक अभियोजन, उनके जिले में न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने की सूचना तुरंत तथा प्रति द्विमास में अभियोजन निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

2. **<u>जिला स्तर पर व्यवस्था</u>–**

(i) उप निदेशक अभियोजन, जिले में न्यायालयों में पैरवी की समुचित व्यवस्था को बनाए रखने हेतु संबंधित न्यायालय में अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक (सहायक निदेशक अभियोजन)/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में पैरवी की तत्कालीन कार्यव्यवस्था हेतु ऐसे अधिकारियों की वरिष्ठता व पदस्थापित न्यायालय में कार्यभार को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, स्वापक एवं मनः औषधि पदार्थ अधिनियम जैसे विशिष्ठ न्यायालयों में मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारियों को ही लगाएंगे एवं यदि उक्त स्तर के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठतम अभियोजन अधिकारी को लगाएंगे।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर पर, उप निदेशक अभियोजन जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अभियोजन अधिकारी को ही रिक्त न्यायालय में पैरवी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपेंगे,किन्तु किसी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के लम्बे अवकाश पर होने अथवा उनका पद रिक्त होने पर उस न्यायालय में कार्यरत अभियोजन सेवा के अधिकारी को आवश्यकता अनुसार जिले के किसी भी न्यायालय में कार्य व्यवस्था में लगाया जा सकेगा।

RajKaj Ref No.:
18369387
eSign DSC

(iii) उप निदेशक अभियोजन, जिला मुख्यालय के अतिरिक्त, अन्य मुख्यालय पर न्यायालय में पैरवी की व्यवस्था बनाए रखने हेतु, जिन स्थानों पर एक से अधिक न्यायालय स्थापित है और आनुपातिक रूप से जहाँ अधिक संख्या में अभियोजन अधिकारीगण है, वहाँ कार्यरत अभियोजन अधिकारीगण को रिक्त स्थान पर कार्यव्यवस्था में लगायेंगें।

(iv) उप निदेशक अभियोजन, जिले में रिक्त पदों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अति आवश्यक स्थिति में, ऐसी स्थिति आदेश में वर्णित करते हुए, किसी अभियोजन अधिकारीगण को जिले में किसी भी स्थान पर पैरवी हेतु आदेशित कर सकेंगें।

(V) जिले के सैशन/विशेष न्यायालयों में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोज, विशेष लोक अभियोजक अथवा जिले में किसी न्यायालय में अभियोजन सेवा के किसी अपर लोक अभियोजक का पद रिक्त होने अथवा अवकाश पर जाने की दशा में उस जिले के उपनिदेशक अभियोजन/उस जिले में कार्यरत सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी कार्य करेंगे।

3. **<u>सम्भाग स्तर पर व्यवस्था</u>**–

संभाग के जिलों में रिक्त पदों एवं इससे प्रभावित होने वाले न्यायिक कार्यों को देखते हुए संभाग के संयुक्त निदेशक अभियोजन प्रभावित जिलों के उप निदेशक अभियोजन से चर्चा कर परस्पर सहमति के आधार पर उप निदेशक अभियोजन (लोक अभियोजक)/सहायक निदेशक अभियोजन (विशेष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी को दूसरे जिले में 03 सप्ताह के लिए कार्यव्यवस्थार्थ लगा सकेंगे। संयुक्त निदेशक अभियोजन अपने संभाग के जिलों में पदस्थापित उपनिदेशक अभियोजन से प्रत्येक माह की 07 तारीख तक इस बाबत चर्चा कर समस्याओं के निदान का प्रयास करेंगे।

4. **<u>उक्त आदेश जारी करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगें</u>** –

(i) उप निदेशक अभियोजन जिला स्तर पर एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन संभाग स्तर पर, अभियोजन अधिकारीगण के रिक्त पदों एवं कार्य व्यवस्था में लगाये जाने की पाक्षिक समीक्षा करेंगें एवं समीक्षा रिपोर्ट अभियोजन निदेशालय को प्रेषित करेंगें।

(ii) उप निदेशक अभियोजन व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन (विशेष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)/अभियोजन

RajKaj Ref No.:
18369387
eSign DSC

अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी को कार्यव्यवस्था में लगाए जाने के आदेशो की प्रति अभियोजन निदेशालय को प्रेषित करेंगें।

(ii) जहां सहायक निदेशक अभियोजन (विशेष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक) /अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी की 30 दिन से अधिक अवधि के लिए कार्य व्यवस्था की जानी हो, ऐसे आदेश अभियोजन निदेशालय से अनुज्ञा प्राप्त की जानी आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त समय रहते हुए प्रस्ताव अभियोजन निदेशालय को प्रेषित किए जाएं।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय)/(अभियोजन) राजस्थान।
2. संयुक्त निदेशक अभियोजन, समस्त संभाग।
3. समस्त उपनिदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. संस्थापन राजपत्रित/एपीओ शाखा, अभियोजन निदेशालय, उक्त के संबंध में प्राप्त सूचनाओं/पत्रों पर नियमानुसर कार्यवाही करें।
5. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally Signed by RAVI SHARMA
Designation : Secretary
Date :15-10-2025 04:37:14

RajKaj Ref No.: 18369387
eSign DSC